न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –01 / 2023
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

—— **वादी**

बनाम्

1. रणजीत पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक:**-29/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 106/101 की कुल 3.2020 हैक्ट व रोही मौजा 11 एनटीआर – बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 102/93 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 13 एनटीआर के खाता स0 106/101 की भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा 11 एनटीआर बी के खाता स0 102/93 की भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विवाद दावा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगा संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 106/101 की कुल 3.2020 हैक्ट व रोही मौजा 11 एनटीआर – बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 102/93 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 106/101 की कुल 3.2020 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एनटीआर – बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 102/93 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –01 / 2023
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

–– वादी

बनाम्

1. रणजीत पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. शारदा पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 01 सन 2023 निर्णय दिनांक - 29/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 106 / 101 की कुल 3.2020 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मौजा 11 एनटीआर – बी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 102 / 93 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:08:13 IST
Reason: SelfAttested